राजनीतिक दलों के लिए विदेशी दान राशियां

2418. **श्री राघवजी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में किन-किन राजनीतिक दलों ने विदेशों से दान राशियां प्राप्त की हैं ;

(ख) यह दान राशियां कब-कब और किन-किन कंपनियों या व्यक्तियों से प्राप्त की गई हैं ; और

(ग) विदेशों से धन पाने वाले उपरोक्त राजनीतिक दलों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1993 से 1995 तक की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के बाहर से 3.75 करोड़ रुपये का अभिदाय/दान प्राप्त किया था । यदि अभिदाय/दान देने वाली कंपनियों के नाम :—(i) डेकोर ट्रेडिंग लिमिटेड (ii) डायरा ट्रेडिंग लिमिटेड (iii) डोमिनियन ट्रेडिंग लिमिटेड तथा (iv) बारकेली बिजनेस कारपोरेशन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार, ये सभी भुगतान उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हुए थे।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम , 1976 के प्रावधानों को देखते हुए इस मामले की जांच करने के वास्ते कतिपय ब्यौरे मांगे गए हैं। इस विषय से संबंधित एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित है ।

मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण

2419. **श्री राघव जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होने तथा इसे नक्सलवादियों और डाकुओं से संबंधित पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए सरकार इसे अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) 1996–97 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार से 17.98 करोड़ रु. की सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यह सहायता वाहनों के प्रापण, सुरक्षा उपकरण, संचार उपकरण और आधुनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए मांगी गई थी । यद्यपि, आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को आबंटित निधि 1996–97 के दौरान केवल 2.37 करोड़ रु. थी, परन्तु मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना के तहत 4.78 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी । चालू वित्त वर्ष (1997–98) के दौरान 118.910 लाख रु. की सहायता भी उक्त योजना के तहत राज्य सरकार को जारी की गई है ।

Escalation in Cost of Indo-Bangladesh Border Fencing Project

2420. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the tardy implementation of the ambitious multi-crore Indo-Bangladesh Border fencing Project has led too considerable escalation of cost;

(b) if so, the reasons therefor with escalation of cost in terms of money;

(c) whether such fencing project will touch five sensitive States in the North-East Region;

(d) whether delay implementation has allowed continued movement of insurgents and smuggler gangs across the sensitive areas of the North-East;

(e) whether Government propose for the speedy implementation of the project to avoid situation as in (a) and (d) above; and

(f) if so, the details of the revised time schedule and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) Revision of cost of fencing along the Indo-Bangladesh Border has become necessary due to slow progress of execution of works.

(b) The main reason for delay in West Bengal sector is inability of the State Government to acquire and hand-over land to the executing agency in time. Partial diversion of funds released for fencing work to other State Works by the Government of Assam has resulted in delay in completion of fencing work in that State. Final estimate of escalation of costs is yet to be made.

(c) Fencing of identified sensitive stretches of Indo-Bangaldesh Border has been undertaken in the States of West Bengal, Assam and Meghalaya only.

(d) Since only selected sensitive stretches in Indo-Bangladesh border has been proposed/taken up for fencing, it is difficult to corelate the delayed implementation with continued movement of insurgents and smugglers across the international borders.

(e) and (f) Yes Sir. The fencing work is proposed to be completed by March, 1999 in all the three States.

दिल्ली में सरकारी कालोनियों के आस-पास झुगियां

2421. **श्री राजनाथ सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका को यह जानकारी है कि लक्ष्मी बाई नगर, सरोजनी नगर स्थित सरकारी आवासों के आस-पास एवं नाले के ऊपर झुगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे इन कालोनियों का वातावरण दूषित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका/सरकार एक निश्चित समय सीमा में वहां से इन झुगियों को हटाकर कंटीले तार की बाड़ लगा कर वृक्षारोपण का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस क्षेत्र को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 31-1-90 तक इन इलाकों में बन ई गई झुगियों को क्रमांक संख्या आवंटित कर दी हैं। इसके बाद बनाई गई झुगियों को, जब भी ध्यान में आती हैं गिरा दिया जाता है।

(ग) और (घ) मौजूदा नीति के अनुसार ऐसे झुग्गी – निवासी जिन्होंने 31.1.90 तक झुगियां बना दी थी (नागरिक आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड, पहचान-पत्र तथा टोकन द्वारा प्रमाणित) वैकल्पिक स्थान / भूखंड के आबंटन के लिए पात्र हैं। झुग्गी—झोंपड़ियों को हटाना व पुनः स्थित करना मुख्य रूप से भूखंडों की उपलब्धता और भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा स्लम तथा